

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
नंत्रालय, वल्लभ भवन, नोपाल-462004


// अधिसूचना //

क्रमांक- एफ बी-04-01/2018/2/पांच (33)

भोपाल, दिनांक 21 मई, 2018

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी. 04-01-2018-2-पांच(03) दिनांक 10 जनवरी, 2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में राजपत्र क्र.17 दिनांक 10 जनवरी, 2018 में प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन शासकीय योजनाओं के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा समूह के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु 10 लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.डी.रिछारिया) 21/5/18

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग


मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ वी-04-01/2018/2/पांच

भोपाल दिनांक 21 मई, 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक-एफ वी-04-01/2018/2/पांच(33), दिनांक 21 मई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.डी.रिछारिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN, BHOPAL-462004


//NOTIFICATION//

No. B-4-01/2018/2/V (33)

Bhopal, dated 21 May, 2018

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of this department's notification No. B-4-01-2018-2-V-(03) dated 10 January 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 17 dated 10 January, 2018, the State Government, hereby, remits stamp duty chargeable under article 6 of Stamp Schedule -1A on the instruments executed in favour of Banks for securing loan upto 10 Lakh Rupees by Women self help groups, constituted under Government Schemes for economic development of the members of the groups.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh


(S.D. Richharia)

Deputy Secretary to
Government of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department